भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

फैक्स/सीओआईएस/मेल
22.03.2020 को जारी

महाप्रबंधक
भारतीय रेलें

प्रतिलिपि :
पीसीओएम तथा सीपीटीएम/भारतीय रेलें और एमडी/केआरसीएल

संदेश सं. डीटीपी/2020/03/23

विषय : कोविड-19 के मद्देनजर गाड़ी सेवाओं का निरस्तीकरण।

कोविड-19 के मद्देनजर किए जा रहे उपायों के क्रम में यह विनिश्चय किया गया है कि भारतीय रेलवे तथा कोंकण रेलवे पर सभी यात्री गाड़ी सेवाओं के निरस्त करने की अवधि को 31.03.2020 के 2400 बजे तक निम्नानुसार बढ़ाया जाएगा :-

(क) सभी प्रारंभ होने वाली लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां और इंटरसिटी गाड़ियां (प्रीमियम गाड़ियों सहित) तथा सभी प्रारंभ होने वाली यात्री गाड़ियां 31.03.2020 के 2400 बजे तक रद्द रहेंगी।

(ख) जैसाकि पहले सूचित किया गया है कि उपनगरीय गाड़ियां और मेट्रो रेलवे, कोलकाता की गाड़ियां 22.03.2020 को 2400 बजे तक न्यूनतम संख्या में चलाई जाती रहेंगी। तत्पश्चात्, सभी उपनगरीय गाड़ियां और मेट्रो रेलवे, कोलकाता की गाड़ियां 22.03.2020 के 2400 बजे से 31.03.2020 के 2400 बजे तक पूर्णत: रद्द रहेंगी; और

(ग) वे गाड़ियां जिनकी यात्रा 22.03.2020 के 04.00 बजे से पहले प्रारंभ हो गई थी, वे अपने गंतव्य तक चलेंगी।

(घ) मालगाड़ी परिचालन जारी रहेगा।

2 क्षेत्रीय रेलों को अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने लिए सूचित किया जाता है। प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार करने की व्यवस्था की जाए। इन गाड़ियों को रद्द करने के संबंध में यात्रियों को एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाए। की गई कार्रवाई से अवगत कराएं।

रेड्डी/रेलवे

अजय प्रताप सिंह
(ए.पी.सिंह)
संयुक्त निदेशक टीटी/समय-पालन
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि : अपर सदस्य/वाणिज्य, अपर सदस्य/टी एंड सी, अपर सदस्य/यातायात एवं सचिव, एमडी/आईआरसीटीसी, ईडीपीएम, ईडी/आईपी, पीएस/सीआरबी, पीपीएस/एमटी, पीपीएस/एमआरएस, पीपीएस/एमटीआर, पीपीएस/एमई, पीपीएस/एमएस और पीपीएस/एएम स्टाफ, माननीय रेल मंत्री के निजी सचिव, रेल राज्य मंत्री के निजी सचिव

Scanned with CamScanner